

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थित:- ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010047862026



Bail Application/1396/2026

Somnath Vs. State of U.P.

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 1396/2026

1. सोमनाथ पुत्र श्री मन्दूरी
2. जितेन्द्र पुत्र सोमनाथ
3. कैलाश पुत्र सोमनाथ
4. विजयपाल पुत्र सोमनाथ, समस्त निवासीगण ग्राम अहमदपुर नया गांव, थाना पिलखुवा, जिला हापुड

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु0अ0सं0 569 / 2025

अ0 धारा-110,191(2),191(3),115(2),352,351(3), बी0एन0एस0,

व 7 आपराधिक कानून (संशोधन अधि0),

थाना – पिलखुवा ,जिला हापुड ।

07.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्तगण सोमनाथ, जितेन्द्र, कैलाश , विजयपाल की तरफ से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त प्रकरण में अर्न्तगत धारा 482 बी0एन0एस0एस0 प्रस्तुत किया गया है ।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्तगण के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उक्त केस के वादी द्वारा उक्त केस की प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पंजीकृत करायी गई है, जिसमें लेशमात्र भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि एफ०आई०आर० में वर्णित दूसरे पक्ष के रामवीर पुत्र रुपराम, नीरज पुत्र देशराज, हेमन्त पुत्र रामवीर, लोकेश पुत्र रामवीर, केशव पुत्र चेतन, दीपक पुत्र रामवीर, रेखा पत्नी सत्यवीर आदि ने प्रार्थी/अभियुक्तगण व उसके पति सोमनाथ, पुत्र जितेन्द्र, कैलाश, विजयपाल आदि परिजनों के साथ लाठी डण्डो व धारदार हथियारों से दिनांक 02-10-2025 की रात्रि करीब 11.30 बजे गम्भीर रूप से मारपीट करके प्राणघातक चोटे पहुंचायी थी, जिसमें मगनवती के सिर में गम्भीर व प्राणघातक चोट आयी थी तथा किसी व्यक्ति की सूचना पर गाँव में पुलिस आ गई थी और पुलिस दोनों पक्षों के व्यक्तियों व प्रार्थी/अभियुक्तगण को थाने ले गई थी। प्रार्थी/अभियुक्तगण दौराने विवेचना धारा 35 (3) बी०एन०एस०एस० के नोटिस पर रिहा है तथा धारा 35(3) बी०एन०एस० में लगायी गई सभी शर्तों का पूर्णतः अनुपालन किया

गया है। उक्त केस में पुलिस द्वारा मनमानी विवेचना करके आरोप पत्र प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरुद्ध विचारण न्यायालय में दाखिल कर दिया है। उपरोक्त कथित अपराध 07 वर्ष की अवधि के कारावास से अनाधिक है। जिस कारण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा “ Satender Kumar Antil Vs- Cenrtal Bureau of Investigation and another reported in (2021) 10 SCC 773 को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान की जानी आवश्यक है। प्रार्थी/अभियुक्तगण दौरान विचारण, नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष आते रहेंगे और केस के विचारण में पूर्णतः सहयोग करेंगे। उक्त केस में प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई ठोस व यकीन किये जाने योग्य साक्ष्य नहीं हैं। प्रार्थी/अभियुक्तगण सभ्य, सामाजिक व सम्मानित परिवार के सदस्य है, ना ही पूर्व में किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले सजा भुगती है। प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों भिन्न किन्ती व्यक्ति का कोई उत्प्रेरण, धमकी या वचन नहीं देगे, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके। प्रार्थी/अभियुक्तगण आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे। उपरोक्त मुकदमें में प्रार्थी/अभियुक्तगण को गिरफ्तारी की पूर्ण आशंका है, इसलिये प्रार्थी/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पोषणीय है। प्रार्थी/अभियुक्तगण के द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र पेश कराया गया है। इसलिये प्रार्थी/अभियुक्तगण के भागने या न्यायालय क्षेत्र छोड़ने का कोई अन्देशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण मान्य न्यायालय की सन्तुष्टि हेतु उचित धनराशि का बन्धपत्र तथा प्रतिभू अग्रिम जमानत हेतु अदा करने को तैयार है। सहअभियुक्तगण मगनवती , रामवीर , नीरज , लोकेश, हेमन्त, रेखा, दीपक का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है । उपरोक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का तर्क किया गया।

इसके विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया तथा तर्क किया कि प्रार्थी/अभियुक्तगण का जुर्म गम्भीर प्रकृति का अपराध है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

मैंने उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया ।

धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के अनुसार अग्रिम जमानत में न्यायालय निम्नलिखित बातें पर विचार करेगी—

- (1) अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता
- (2) आवेदक का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पर पहले ही कारावास भुगत चुका है ।

है।

(3) न्याय से भागने की आवेदक की सम्भाव्यता और

(4) जहां आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो।

फर्द गिरफ्तारी 08 नफर अभियुक्तगण व बरामदगी 03 अदद सरिया व 02 अदद डण्डे सम्बन्धित धारा 110,191(2), 191(3), 115(2), 352,351 (3) बीएनएस व 7 सीएलए थाना पिलखुवा जनपद हापुड के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि " दिनांक 02.10.2025 को मैं उ0नि0 दिनेश चन्द्र गौतम शान्ति व्यवस्था ड्यूटी, रामलीली ड्यूटी ने थाना क्षेत्र में मामूर था कि जरिये आरटी सैट व डायल 112 एवं थाना हाजा से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अहमदपुर नया गांव में दो पक्षों में मारपीट हो रही है सूचना पर मुझ उ0नि0 द्वारा उ0नि0 अनुज पराशर, म०उ०नि० रेखा भदौरिया, है०का० नरेन्द्रपाल, है०का० 592 विजेन्द्र सिंह, है०का० 470 सुनील शर्मा व का० 935 अजय कुमार को तलब किया गया उपरोक्त कर्मचारीगण तलबिदा उपस्थित आये जिन्हे साथ लेकर ग्राम अहमदपुर नया गांव समय करीब 11.45 बजे रात्रि पहुंचा तो देखा ग्राम अहमदपुर नया गाँव में पर करीब 20-25 लोग एक राय होकर हाथी में लाठी, डण्डों, सरिया लेकर आपस में एक-दूसरे के सरिया, लाठी, डण्डो से वार कर रहे थे और आपस में गाली गलोच व मारपीट कर एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दे रहे थे, जिससे मौहल्ले में दहशत को माहौल बन गया था तथा मौहल्ले के लोगो द्वारा भय के कारण अपने घरों के दरवाजे बन्द कर लिये गये। हमारे काफी समझाने पर भी झगड़ा कर रहे दोनों पक्ष नहीं माने तब मुझ उ0नि0 ने जरिये दूरभाष से थाने से अतिरिक्त फोर्स गांव में भेजने के लिये बताया और उक्त सूचना पर थाना मोबाइल उ0नि0 श्री झम्मन सिंह मय कर्म० गण का० 781 सनी कुमार व का० 25 सौरभ मय चालक है०क० 52 वीरेश कुमार के मौके पर पहुँच गये, मुझ उ0नि0 ने मय कर्मचारीगण के साथ मौके पर भीड़ को धमकाकर तितर बितर किया तथा भीड़ के हटने के बाद मौहल्ले के डरे सहमे लोगों में हिम्मत बांधते हुए दोनों पक्षों में से घायल बेहोस अवस्था में पड़े प्रथम पक्ष 1. सोमनाथ पुत्र मन्दूरी 2. जितेन्द्र पुत्र सोमनाथ, 3. कैलाश पुत्र सोमनाथ 4. विजयपाल पुत्र सोमनाथ 5. मगनवती पत्नी सोमनाथ समस्त निवासीगण ग्राम अहमदपुर नया गांव व 6. रोहित पुत्र अजीत 7. अनुज पुत्र भीमसैन निवासीगण मौहल्ला शुक्लान कस्बा व थाना पिलखुवा व द्वितीय पक्ष 1. रामवीर पुत्र रूपराम 2. नीरज पुत्र देशराज 3. हेमन्त पुत्र रामवीर, 4. लोकेश पुत्र रामवीर 5. केशव पुत्र चेतन 6. दीपक पुत्र रामवीर 7. रेखा पत्नी सत्यवीर निवासी गण ग्राम अहमदपुर नया गांव थाना पिलखुवा जनपद हापुड लाठी डण्डो एवं सरिया से एक दूसरे पर वार करने के कारण दोनों पक्षों के काफी चोटें आई है व अभि० केशव सोमनाथ, विजयपाल व अभि० रामवीर उपरोक्त व कुछ व्यक्ति मौके से भागने में कामयाब रहे। जो व्यक्ति घायल अवस्था में है जान माल की हानि के बचाव हेतु मजरूबों का डाक्टरी उपचार कराया गया, उपचार कराने के उपरान्त मौके पर झगड़ा करने वाले दोनों पक्षों में से प्रथम पक्ष

के 1. सोमनाथ पुत्र मन्दूरी 2. जितेन्द्र पुत्र सोमनाथ, 3. कैलाश पुत्र सोमनाथ 4. विजयपाल पुत्र सोमनाथ 5. मगनवती पत्नी सोमनाथ समस्त निवासीगण ग्राम अहमदपुर नया गांव व 6. रोहित पुत्र अजीत 7. अनुज पुत्र भीमसैन निवासीगण मौहल्ला शुकलान कस्वा व थाना पिलखुवा व द्वितीय पक्ष 1. रामवीर पुत्र रुपराम, 2. नौरज पुत्र देशराज, 3. हेमन्त पुत्र रामवीर, 4. लोकेश पुत्र रामवीर 5. केशव पुत्र चेतन 6. दीपक पुत्र रामवीर 7. रेखा पत्नी सत्यवीर निवासी गाग ग्राम अहमदपुर नया गांव थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ का यह कृत्य जुर्म धारा 110,191(2),191(3), 115(2),352,351 (3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट की हद को पहुंचता है, उपरोक्त दोनों पक्ष झगडालू किस्म के लोग है। और इनकी आम शोहरत भी अच्छी नहीं है और दोनों पक्षों में आपस में बहुत कसीदगी है और कोई भी संगीन घटना घटित हो सकती है और मौहल्ले में एलानिया एक दूसरे को देख लेने की बात कह रहे हैं और एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. अभियुक्तगण प्रथम पक्ष 1. जितेन्द्र पुत्र सोमनाथ, 2. कैलाश पुत्र सोमनाथ समस्त निवासी ग्राम अहमदपुर नया गांव व 3. रोहित पुत्र अजीत 4. अनुज पुत्र भीमसैन निवासीगण मौहल्ला शुकलान कस्वा व थाना पिलखुवा व द्वितीय पक्ष के 1. नौरज पुत्र देशराज, 2. हेमन्त पुत्र रामवीर, 3. लोकेश पुत्र रामवीर 4. दीपक पुत्र रामवीर समस्त निवासीगण ग्राम अहमदपुर नया गाँव थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ झगडा करने वाले व्यक्तियों को इनके कृत्य जुर्म धारा 110,191(2),191(3), 115(2),352,351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट से अवगत कराते हुए समय 6.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया, महिला अभियुक्ता मगनवती व रेखा उपरोक्त को रात्रि का नावक्त होने के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मौके पर पड़े घटना में प्रयुक्त 03 अदद सरिया व 02 डण्डा कब्जे पुलिस में लिया गया जिनका हुलिया इस प्रकार 01 अदद सरिया जिसकी लम्बाई लगभग 04 बालिस्त व 01 अदद सरिया जिसकी लम्बाई लगभग 3 बालिस्त 08 अंगुल तथा बरामदा डण्डा लकड़ी जिसकी लम्बाई 04 बालिस्त 5 अंगुल को सफेद कपडे में सीलकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। चोटिलो को ईलाज कराया जा चुका है। दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग का अक्षरशः पूर्णतः पालन किया गया। व गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किया गया। फर्द मुझ 30नि0 द्वारा बोल-बोल कर अपने निजी लैपटाप मे टाईप की गयी तथा फर्द को पैनड्राइव मे सेव कर है0का0 592 बिजेन्द्र सिंह को सुपुर्द कर प्रिन्ट निकलवाने के लिए चौकी पर भेजकर 3 प्रिन्ट मगवाया गया है। फर्द को पुलिस कर्म० गण को पढ़कर सुनाकर अलामात बनवाए जाते है। ”

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक की तर्कपूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

सुनने एवं अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से प्रकट होता है कि विवेचना के उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 569/2025,अ0 धारा 110, 191(2), 191(3),115(2), 352,351(3), बी0एन0एस0,व 7 आपराधिक कानून (संशोधन अधि0), थाना पिलखुवा ,जिला हापुड़ में अभियोग पंजीकृत है। दौरान विवेचना अभियुक्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आरोपित अपराध अधिकतम 7 वर्ष तक के

कारावास से दण्डनीय है। अभियोजन के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया गया है। सहअभियुक्तगण मगनवती , रामवीर , नीरज , लोकेश, हेमन्त, रेखा, दीपक का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है। मामले के तथ्य, परिस्थितियों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने विधि व्यवस्था सतेन्द्र कुमार अन्तिल बनाम सी0बी0आई0 में पारित दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी/अभियुक्तगण सोमनाथ, जितेन्द्र, कैलाश , विजयपाल का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निम्न शर्तों पर स्वीकार किया जाता है—

आदेश

यदि प्रार्थी/अभियुक्तगण सोमनाथ, जितेन्द्र, कैलाश , विजयपाल को मु0अ0सं0 569/2025,अ0 धारा 110, 191(2), 191(3),115(2), 352,351(3), बी0एन0एस0,व 7 आपराधिक कानून (संशोधन अधि0), थाना पिलखुवा ,जिला हापुड में गिरफ्तार किया जाता है तो प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा रुपये 50,000/— के निजी बंधपत्र तथा इसी धनराशि की एक जमानत सम्बन्धित पुलिस अधिकारी की संतुष्टि पर दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन छोड़ा जाये—

1. प्रार्थी /अभियुक्त किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी, पूछताछ हेतु स्वयं उपस्थित होगा।
2. प्रार्थी /अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिन्न किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी व वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।
3. प्रार्थी /अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
4. प्रार्थी /अभियुक्त इस तरह का अपराध नहीं करेगा। इस तरह के अपराध में लिप्त होने की शिकायत प्राप्त होने पर जांचोपरान्त किसी क्षण अग्रिम जमानत निरस्त की जा सकेगी।
5. प्रार्थी /अभियुक्त द्वारा साक्ष्यों को तोड़ने या डराने धमकाने की शिकायत प्राप्त होने पर जांचोपरान्त किसी क्षण अग्रिम जमानत निरस्त की जा सकेगी।
6. प्रार्थी /अभियुक्त द्वारा विवेचना/विचारण में सहयोग न देने की शिकायत पर जांचोपरान्त किसी क्षण अग्रिम जमानत निरस्त की जा सकेगी।

आदेश की प्रति सम्बन्धित थाना/न्यायालय को भेजी जाये।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।

